# कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति इन्दौर, जिला इन्दौर.

लक्ष्मीबाई नगर छोटा बांगड़दा रोड़, इन्दौर,
E-mail ID :- apmcindore@gmail.com

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2025–26/3607 इंदौर, दिनांक 01.01.2026

**केन्टीन संचालन एवं संधारण हेतु किराये पर आवंटन एवं कृषकों को 5/– रूपये प्रतिथाली में भोजन उपलब्ध कराने हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना –**

एतद् द्वारा सर्वसंबधितों, व्यक्तियों/संस्थाओं से कृषि उपज मंडी समिति इंदौर के अन्तर्गत लक्ष्मीबाई नगर मुख्यमंडी प्रांगण एवं संयोगितागंज उपमंडी प्रांगण में स्थित केन्टीन को, वरिष्ठालय से जारी परिपत्रानुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए किराये पर संचालन एवं संधारण हेतु ई–निविदा प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 19.01.2026 को सायं 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जिसका विस्तृत विवरण म.प्र.शासन के ई–निविदा के पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त होगा एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी ।

ऑनलाईन निविदा में वित्तीय ऑफर को छोडकर वांछित भौतिक दस्तावेजों का लिफाफा दिनांक 20.01.2026 को सायं 06:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट (कोरियर द्वारा नहीं) से कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, लक्ष्मीबाई नगर, मुख्यमंडी प्रांगण, छोटा बांगडदा रोड़, इंदौर में प्रेषित करना अनिवार्य है । निर्धारित दिनांक तक प्राप्त भौतिक दस्तावेज के लिफाफे को दिनांक 21.01.2026 दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियो के समक्ष गठित समिति द्वारा खोला जावेगा । भौतिक दस्तावेजों के अवलोकन में अहर्तित निविदाकार का वित्तीय ऑफर ही ऑनलाईन खोला जावेगा ।

| सिस्टम टेण्डर क्रमांक | संरचना का नाम व स्थल | प्रतिभूति राशि रूपये | निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये (वापसी योग्य नही) | न्यूनतम ऑफसेट मासिक किराया राशि रूपये (जी.एस.टी.राशि अतिरिक्त रूप से जमा करनी होगी) |
|---|---|---|---|---|
| 2026_MPSAM_472415 | लक्ष्मीबाई नगर मुख्य मंडी प्रांगण में स्थित केन्टीन का संचालन एवं संधारण तथा कृषकों को 5/– रूपये प्रतिथाली में भोजन उपलब्ध कराना । | 1,00,000.00 | 2000.00 | 17,605.00 |
| 2026_MPSAM_472426 | संयोगितागंज उपमंडी प्रांगण में स्थित केन्टीन का संचालन एवं संधारण तथा कृषकों को 5/– रूपये प्रतिथाली में भोजन उपलब्ध कराना । | 1,00,000.00 | 2000.00 | 48,789.00 |

**नोट :– निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक एवं अनिवार्य शर्तो का अवलोकन तथा निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in से दिनांक 19.01.2026 को सायं 6:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर प्राप्त किये जा सकते है ।**

(रामवीर किरार)
सचिव,
मण्डी, इंदौर

Sd
(रोशन राय)
अपर कलेक्टर/भारसाधक अधिकारी,
मण्डी, इंदौर

**कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति इन्दौर, जिला इन्दौर.**
लक्ष्मीबाई नगर छोटा बांगड़दा रोड़, इन्दौर,
E-mail ID :- apmcindore@gmail.com

कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर के संयोगितागंज उपमंडी प्रांगण में स्थित केन्टीन को जहाँ है, जैसी स्थिति में संचालन एवं संधारण हेतु ठेके पर देने एवं कृषकों को 5/— रूपये प्रतिथाली में भोजन उपलब्ध कराने संबंधी अनिवार्य शर्तें :—

1. उक्त केन्टीन भवन को जहाँ है, जैसी स्थिती में संचालन एवं संधारण हेतु ठेके (किराया) पर दिया जाना है। केन्टीन एवं भोजन व्यवस्था हेतु प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/45/44/3951 भोपाल, दिनांक 26.12.2008, अपर संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,भोपाल के पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/45/48/3957 भोपाल, दिनांक 30.12.2008 एवं प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,भोपाल के पत्र क्रमांक/बोर्ड/यो./गै.त./भोज./80 पार्ट/2019/81 भोपाल, दिनांक 27.02.2019 द्वारा जारी निर्देश तथा इस संबंध में समय—समय पर जारी अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
2. ठेके की अवधि 03 वर्ष के लिए रहेगी एवं यह अवधि कार्य के मूल्यांकन तथा आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की दर से किराये में वृद्धि की जाकर बढाई जा सकेगी । इसके लिए मण्डी समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
3. केन्टीन ठेका हेतु अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र स्थानीय पुलिस थाने से प्राप्त कर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
4. केन्टीन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक को निविदा प्रपत्र हेतु वेबसाईट http://www.mptenders.gov पर निर्धारित मूल्य राशि रूपये 2000/— ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

   इच्छुक आवेदक को प्रतिभूति के तौर पर राशि रूपये 1,00,000/— (एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर के नाम से तैयार की स्केन कॉपी ऑनलाईन एवं मूल प्रति वांछित भौतिक दस्तावेज के लिफाफे के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसे सफलतापूर्वक ठेके की समाप्ति पर बिना ब्याज के वापिस किया जावेगा । यदि निर्धारित समयावधि के पूर्व ठेकेदार ठेका बंद करता है अथवा ठेकेदार की अनियमितता के कारण ठेका निरस्त किया जाता है तो यह राशि जब्त कर ली जावेगी ।
5. प्रतिभूति की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति इंदौर के नाम से देय हो, एवं अनुभव प्रमाण पत्र, जो शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा जारी अथवा नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा जारी गुमाश्ता पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो), पेनकार्ड, आधारकार्ड एवं पंजीयन होने की स्थिति में जीएसटी नंबर तथा संबंधित थाने का चरित्र प्रमाण पत्र की स्केन कॉपी ऑनलाईन निविदा में निर्धारित स्थान पर अटेच कर उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति सीलबंद लिफाफे में रखकर निर्धारित दिनांक तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट **(कोरियर द्वारा नहीं)** से कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर, लक्ष्मीबाई नगर मुख्य मंडी प्रांगण छोटा बांगड़दा रोड इन्दौर की ओर प्रेषित करना अनिवार्य होगा । सीलबंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **''संयोगितागंज उपमंडी प्रांगण में स्थित केन्टीन हेतु निविदा''** अंकित करना, निविदा प्रेषित करने वाले व्यक्ति का नाम/फर्म का नाम तथा पूर्ण पता, मोबाईल नंबर आदि अंकित करना अनिवार्य होगा ।

   वांछित दस्तावेजों का सीलबंद लिफाफा गठित समिति द्वारा खोला जावेगा ।

निर्धारित प्रतिभूति राशि का डी.डी. एवं वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर तथा गठित समिति द्वारा अहर्तित घोषित करने के पश्चात ही संबंधित निविदाकार का वित्तीय ऑफर ऑनलाईन खोला जावेगा ।

6. केन्टीन उसी आवेदक को संचालन हेतु दिया जा सकेगा जो ऑनलाईन निविदा में अधिकतम मासिक किराये की राशि का प्रस्ताव करेगा । प्रस्ताव किसी भी दशा में निर्धारित न्यूनतम ऑफसेट मासिक किराया राशि रूपये 48,789/–से कम नहीं होना चाहिये । न्यूनतम ऑफसेट किराये की राशि से कम का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे अमान्य कर दिया जावेगा । कोरियर एवं व्यक्तिगत रूप से तथा निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त लिफाफे को स्वीकार नहीं किया जावेगा । जिन्हें मूलतः वापस कर दिया जावेगा । सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

7. केन्टीन संचालन हेतु स्वीकृत निविदा दर मासिक किराया होगी । समान उच्चतम दर प्राप्त होने पर अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी इसके लिये केन्टीन संचालन का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा । जो कि शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा जारी अथवा नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा जारी गुमाश्ता पंजीयन प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

8. केन्टीन संचालक को ठेका प्रारंभ करने से पूर्व आमजन हेतु खाद्य सामग्री जैसे– कचोरी, समोसा, चाय, कॉफी, पोहे, पकोड़े, भाजी बड़े, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, आदि की दरें प्रचलित बाजार दर अथवा उससे कम पर निर्धारित कर मंडी समिति से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित दरों पर ही खाद्य सामग्री विक्रय करना होगी । अनुमोदित खाद्य सामग्री की दरों का बोर्ड केन्टीन के अन्दर एवं केन्टीन के बाहर लगाना अनिवार्य होगा । निर्धारित दरों से अधिक पर खाद्य सामग्री विक्रय करने पर ठेका समाप्त करने का अधिकार व प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मंडी समिति को होगा ।

9. केन्टीन संचालन के लिये चयनित होने वाले ठेकेदार द्वारा कृषकों तथा कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल/तुलावटियों को मंडी द्वारा जारी कूपन के आधार पर राशि रूपये 5/–(अक्षरी राशि रूपये पांच मात्र) प्रतिथाली में भोजन उपलब्ध कराया जावेगा । शेष रूपये 15/–(अक्षरी राशि रूपये पन्द्रह मात्र) मंडी समिति वहन करेगी । जिसका भुगतान चयनियत ठेकेदार को मंडी समिति इंदौर द्वारा जारी कूपन के अनुसार तैयार देयक के प्रांगण प्रभारी के सत्यापन उपरांत प्रतिमाह आवश्यक कटौत्रा (टेक्स) पश्चात किया जायेगा।

10. केन्टीन संचालनकर्ता का दायित्व होगा कि, वह कृषकों एवं हम्माल–तुलावटियों को मंडी द्वारा जारी कूपन अनुसार न्यूनतम अनिवार्य मीनू 6 पूड़ी तथा सब्जी अथवा 6 रोटी दाल एवं सब्जी के साथ भोजन उपलब्ध करायेगा । कृषक बन्धुओं एवं हम्माल/तुलावटियों द्वारा उक्त मीनू से पृथक अतिरिक्त खाद्य सामग्री की मांग की जाती है तो निर्धारित मूल्य पर संचालनकर्ता प्रदाय करेगा ।

11. सफल निविदाकार को एक सप्ताह के अन्दर केन्टीन का कब्जा प्राप्त करने के पूर्व नियमानुसार राशि के स्टाम्प पेपर पर मंडी समिति से अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा । यदि सफल निविदाकार एक सप्ताह के अन्दर अनुबंध निष्पादित करने में असफल रहता है तो उसकी जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जाकर द्वितीय निविदाकार के साथ अनुबंध निष्पादित किया जावेगा और यदि द्वितीय निविदाकार भी अनुवंध निष्पादित करने में असफल रहता है तो उसकी जमा प्रतिभूति राशि भी राजसात कर ली जावेगी ।

12. द्वितीय उच्चतम निविदाकार की जमा प्रतिभूति राशि प्रथम उच्च निविदाकार के द्वारा अनुबंध निष्पादन पश्चात् वापस की जावेगी ।

13. सफल निविदाकार को 07 दिवस के अन्दर तीन माह माह का किराया सुरक्षा निधि के रूप में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा । यह राशि ठेका अवधि तक मंडी समिति के पास जमा रहेगी । ठेका अवधि की समाप्ति उपरांत मंडी समिति की देनदारी की राशि काटकर बिना ब्याज के वापिस की जा सकेगी ।

14. ठेका स्वीकृति एवं अनुबंध निष्पादन उपरांत मासिक किराया एवं तत्समय शासन द्वारा लागू जी.एस.टी.की राशि सहित कुल राशि अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा 16 प्रतिशत की दर से अधिभार देय होगा ।

15. सफल निविदाकार को विद्युत कनेक्शन, विद्युत फिटिंग्स, विद्युत उपकरण, जल एवं भोजन व्यवस्था, बैठक हेतु आवश्यक फर्नीचर आदि की व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय से करना होगी । मंडी समिति द्वारा जल की पर्याप्त उपलब्धता होने पर ही ठेकेदार को जलप्रदाय किया जा सकेगा। यदि ठेकेदार द्वारा जल मंडी समिति से प्राप्त किया जाता है तो इस हेतु मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि रूपये 500/– (पांच सौ) प्रतिमाह ठेकेदार को अग्रिम रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा ।

16. केन्टीन संचालनकर्ता को केन्टीन में स्वयं के व्यय पर पर्याप्त संख्या में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाना एवं जिनकी नियमित रूप से संचालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा । केन्टीन में आने वाले व्यक्तियों/ग्राहकों का लेखाजोखा संधारित किया जाना होगा। इस हेतु एक रजिस्टर काउण्टर पर रखना होगा । लेखाजोखा मंडी समिति द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

17. ठेका जिस व्यक्ति के नाम से आवंटित होगा वह अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकेगा । ठेका अवधि में यदि ठेकेदार का अपराधिक रिकार्ड होना पाया जाता है तो मंडी समिति द्वारा उसका ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर सकेगी । ठेकेदार को उसके अधीनस्थ कार्यरत सेवकों के चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि ठेकेदार द्वारा जानबूझ कर आपराधिक व्यक्ति को रखता है तो मंडी समिति को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा ।

18. ठेकेदार एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत सेवकों को मंडी समिति द्वारा प्रसारित आदेश एवं मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा । अवहेलना करने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

19. भोजन व्यवस्था का सुचारू संचालन, गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण का दायित्व अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी, मंडी समिति, सचिव मंडी समिति, लेखापाल तथा प्रांगण प्रभारी मंडी समिति की कमेटी का होगा । स्वल्पाहार सामग्री का आकस्मिक निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार मंडी समिति को होगा । सामग्री को खाद्य योग्य न पाये जाने की स्थिति में उसे जब्त/नष्ट/फिकवाने का अधिकार मंडी समिति के सचिव /प्रांगण प्रभारी को होगा ।

20. भोजन व्यवस्था योजना में समय–समय पर संशोधन करने के अधिकार प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड के पास सुरक्षित रहेंगे । जिसका पालन करना संचालनकर्ता को अनिवार्य होगा ।

21. केन्टीन का ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा । मंडी समिति किसी भी समय ठेके को निरस्त करने के लिए सक्षम होगी ।

22. किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने का अधिकार मण्डी समिति को रहेगा जो सभी को मान्य होगा । मण्डी समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

23. ठेकेदार को केन्टीन आवंटित स्थल पर ही सामग्री का क्रय–विक्रय करना अनिवार्य होगा। प्रांगण में अन्य स्थल पर क्रय–विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । मंडी द्वारा आवंटित स्थान

के अतिरिक्त अतिक्रमण किया जाता है तो मंडी समिति संबंधित का आवंटन निरस्त कर सकेगी । केन्टीन में खाद्य सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी नशा सामग्री, मांसाहारी सामग्री का विक्रय नहीं किया जा जावेगा । केन्टीन में असामाजिक तत्वों का आना–जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

24. किसी भी शर्त में कमी/वृद्धि अथवा फेरबदल करने का अधिकार मण्डी समिति को रहेगा जो सभी को मान्य होगा ।
25. केन्टीन में एवं उसके आसपास साफ–सफाई एवं स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा, जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी । केन्टीन के किचिन में खाद्य सामग्री का निर्माण स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरण में गुणवत्तापूर्वक कराया जाना अनिवार्य होगा । कचरा आदि एक जगह एकत्रित कर उसको फिंकवाने की व्यवस्था संचालनकर्ता को स्वयं करना होगी । इस हेतु केन्टीन में दो बड़े डस्टबीन ड्रम गीले एवं सूखे कचरे हेतु पृथक से स्वयं को क्रय कर रखने होंगे । कचरा फैला पाये जाने पर 500/– रूपये तक अर्थदण्ड मंडी प्रशासन अधिरोपित कर सकेगा ।
26. मण्डी समिति को केन्टीन की आवश्यकता होने पर प्राथमिकता के आधार पर मण्डी सचिव के आदेश पर उपलब्ध कराना होगा ।
27. ठेकेदार द्वारा केन्टीन में स्वच्छ एवं आर.ओ. शीतल पेयजल की व्यवस्था निशुल्क की जाना अनिवार्य होगा ।

(रामवीर किरार)
सचिव,
मण्डी, इंदौर

(रोशन राय)
अपर कलेक्टर/भारसाधक अधिकारी,
मण्डी, इंदौर